कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.03.2025

विषयः- कुल 10.800 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ 02 नफ़र अभियुक्तगण 01- सचिन कुमार कुशवाहा व 02- छोटू कुमार मिश्रा को थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत चेकिंग के दौरान 02 नफ़र अभियुक्तगण 01.सचिन कुमार कुशवाहा पुत्र विनोद सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम बडकी घोसिया थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास बिहार व 02.छोटू कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 दयाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम बडकी घोसिया थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास बिहार को आज दिनांक-24.03.2025 को समय करीब 06.35 बजे संगम ढाबा के पास अखरी बाईपास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 10.800 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा व जामातलाशी से कुल 1700/- रू0 नगद व 02 अदद मोबाइल बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0083/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- दोनों अभियुक्तगण सचिन कुमार कुशवाहा व छोटू कुमार मिश्रा ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों लोग मिलकर बराबर-बराबर पैसा लगाकर बिहार से गांजा खरीदकर यहाँ लाते है और यहां पर ग्राहक तलाश कर बेचते हैं, गांजा बेचने से मिले पैसे को हम लोग आपस में बराबर-बराबर बाट लेते हैं व उसी पैसे से हम दोनों लोग अपने खर्च व शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. सचिन कुमार कुशवाहा पुत्र विनोद सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम बडकी घोसिया थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास बिहार, उम्र करीब 24 वर्ष।
2. छोटू कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 दयाशंकर मिश्रा निवासी ग्राम बडकी घोसिया थाना बिक्रमगंज जिला रोहतास बिहार, उम्र करीब 28 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- संगम ढाबा के पास अखरी बाईपास थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी से, दिनांक-24.03.2025 को समय करीब 06.35 बजे।

बरामदगी का विवरण-

1- कुल 10.800 कि0ग्रा0 नाजायज गांजा बरामद ।

2- जामातलाशी से अभियुक्त सचिन कुमार कुशवाहा के पास से (01 अदद मोबाईल अप्पो कम्पनी व 1000/- रू0 नगद) तथा अभियुक्त छोटू कुमार मिश्रा के पास से (01 अदद मोबाईल विवो कम्पनी व 700/- रु0 नगद) ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0083/2025 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 अवनीश कुमार मिश्रा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

2- उ0नि0 दिनेश सिंह थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

3- हे0का0 अरुण कुमार मिश्रा थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

4- का0 अवनीश कुमार यादव थाना रोहनिया कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल

पुलिस उपायुक्त

वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।